




रामपुर पुलिस





गाली गलौच, मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में दो अभियुक्तों को 01 वर्ष की परीविक्षा व 4,000- 4,000 रुपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-


अवगत कराना है कि दिनांक 30.06.2019 को वादी की तहरीरी सूचना बावत अभि०गण 1.श्री राम 2. शंकर पुत्रगण पातीराम नि०गण ग्राम मझरा मधुकर मल्लपुर थाना शाहबाद, रामपुर द्वारा वादी व वादी की पुत्री के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना तथा वादी की पुत्री के पति को जान से मारने की धमकी देना तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु०अ०सं०- 332/19 धारा-323/34, 504, 506 भादवि एवं 3(1)द, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.श्री राम 2.शंकर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 08.10.2024 को मा०न्या० विशेष न्यायधीश एससी/एसटी एक्ट रामपुर द्वारा अभियुक्त 1.श्रीराम 2.शंकर उपरोक्त को दोषी पाते हुए 01 वर्ष की परीविक्षा व 4,000- 4,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @rampurpolice

 @रामपुरपुलिस